न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

GCMS NO 2019/00175

अपील संख्या – 55/19

1. रामप्रसाद पुत्र मिश्रया जाति मीना निवासी ग्राम फुलवाडा तहसील वजीरपुर
2. रामनिवास पुत्र मिश्रया जाति मीना निवासी ग्राम फुलवाडा तहसील वजीरपुर
3. मगन पुत्र मिश्रया जाति मीना निवासी ग्राम फुलवाडा तहसील वजीरपुर
4. सियाराम पुत्र रामप्रसाद जाति मीना निवासी ग्राम फुलवाडा तहसील वजीरपुर

अपीलांट

बनाम

1. महादेवा पुत्र रामा जाति मीना निवासी फुलवाडा तहसील वजीरपुर
2. कैलाशी पत्नि महादेवा जाति मीना निवासी फुलवाडा तहसील वजीरपुर
3. भजनवाई पत्नि हरिनारायण जाति मीना निवासी ग्राम फुलवाडा तहसील वजीरपुर
4. महेश पुत्र रामा जाति मीना निवासी ग्राम फुलवाडा तहसील वजीरपुर
5. सजनी पत्नि रामा जाति मीना निवासी ग्राम फुलवाडा तहसील वजीरपुर

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 12/17 निर्णय दिनांक 30.9.19 न्यायालय सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी)

अभिभाषक अपीला0 श्री तरूण शर्मा

अभिभाषक रैस्पो0 श्री मोहम्मद इस्लाम

दिनांक 28.8.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 30.9.19 न्यायालय सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने प्रार्थना पत्र इजराय इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण की भूमि ख0न0 1061,1058,1059,1060 ग्राम फुलवाडा के बाबत मदयूनान को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया है कि वे डिक्रीदार के कब्जे काश्त मे कोई व्यवधान उत्पन्न नही करे। डिक्रीदारान ने इस वर्ष बाजरे व तिल की फसल काश्त की थी। दिनांक 28.9.17 को अपनी फसल को इक्ठठा कर रहे थे इतने मे मदयूनान लाठी डण्डे लेकर आये तथा डिक्रीदार के साथ मारपीट की व फसल को अपने जानवरो को छोडकर नष्ट करवा दिया जिससे डिक्रीदार को काफी नुकसान हुआ जिसके लिए उन्हे न्यायालय का आदेश दिनांक 8.3.17 की अवहेलना करने के लिए छह छह माह के कारावास से दण्डित किया जावे व उनकी चल अचल सम्पति कुर्क की जाकर डिक्रीदार के नुकसान की भरपाई की जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ डिक्रीदार प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय से चाही गई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण /रेस्पो0 संख्या 1 व 2 का प्रार्थना पत्र इजरास्त स्वीकार किया जाकर अपीलांट/मदयूनान 1 ता 4 को एक माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:23:57 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय मिसल के तथ्यो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 द्वारा अपने इजराय प्रार्थना पत्र के सर्मथन मे कोई दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया उसके बाबजूद भी अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र का निस्तारण प्रार्थी के विरूद्व किये जाने मे भारी विधिक भूल की है। जो निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने रिलीफ रेस्पो0 को दी है वह ना तो रेस्पो0 द्वारा दावे व इजराय प्रार्थना पत्र मे मांगी गई है इसके बाबजूद अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र अविधिक व मनमाने रूप से निर्णित करने मे भारी विधिक भूल की है जो निरस्त योग्य है। रेस्पो0 द्वारा वादग्रस्त भूमि के सबंध मे पत्थर गढी का प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी मे प्रस्तुत किया है उसका भूमि पर कब्जा नही है वह भूमि बेच चुका है ना ही अपीलांट के सटवा महादेवा की भूमि है किन्तु इसके बाबजूद अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेश अविधिक रूप से पारित करने मे कानूनी भूल की है। जो निरस्त योग्य है। अपीलांट अपनी भूमि पर काबिज है तथा जिसकी डोल मेड हो रही है तथा उसी अनुसार काबिज चले आ रहे है। किन्तु उसके बाबजूद भी अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेश पारित करने मे भारी विधिक भूल की है। जो निरस्त योग्य है। रेस्पो0 महादेवा द्वारा पूर्व मे अपीलांट के विरूद्व एक फौजदारी मुकदमा ग्राम न्यायालय मे इन्ही आधारो पर प्रस्तुत किया गया जिसमे अपीलांट को बरी किया गया इसके बाबजूद अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेश गलत रूप से पारित करने मे भारी विधिक भूल की है। जो निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को एक माह के सिविल कारावास से दण्डित किया है जबकि उनको ऐसा क्षैत्राधिकार नही है किन्तु उसके बाबजूद अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेश गलत रूप से पारित करने मे भारी विधिक भूल की है। जो निरस्त योग्य है। अपीलांट 65 वर्षीय वृद्व व्यक्ति है जो रिटायर्ड कर्मचारी है व सीनियर सिटीजन है जिसकी गांव मे काफी इज्जत है यदि प्रार्थी को अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की कियान्विति मे जेल भेज दिया गया तो अपीलांट की काफी बदनामी होगी इसके कारण अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा उठाये गये तथ्यो पर ना तो विचार किया है ना ही उनका वर्णन अपने निर्णय मे किया है तथा मात्र रेस्पो0 के प्रार्थना पत्र को आधार मानकर कयास के आधार पर सेट परफोर्म पर निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने ना तो रेस्पो0 की साक्ष्य ली है ना ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया है जो निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधानो की अनदेखी कर आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अपीलांट को उक्त आदेश की जानकारी निर्णय की नकल लेने पर प्राप्त हुई। इस प्रकार जानकारी अनुसार अपील अन्दर मियाद धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की है। अतःअपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:28:57 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

रेस्पो० के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस कथन किया कि भूमि ख०न० 1061,1058,1059,1060 ग्राम फुलवाडा के बाबत अपीलांटगण/मदयूनान को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया था कि वे डिक्रीदार/रेस्पो० के कब्जे काश्त मे कोई व्यवधान उत्पन्न नही करे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आपसी सहमति से दोनो पक्षो को पाबन्द किया गया था जिसमे अपनी अपनी खातेदारी भूमि के कब्जे काश्त पर काबिज रहने तथा एक दूसरे खातेदार की भूमि के कब्जे काश्त मे बाधा उत्पन्न नही करने पर सहमति दी गई है। इसके बावजूद भी अपीलांट द्वारा डिक्रीदार/प्रार्थी की भूमि ख०न० 1061 ग्राम फुलवाडा मे दक्षिणी पश्चिमी सीमा पर ख०न० 1061 व 1058 मे 36 मीटर भूमि पर मदयूनान रामप्रसाद पुत्र मिश्रया का कब्जा पाया गया है जो सीमाज्ञान रिपोर्ट से स्पष्ट है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा न्यायालय के आदेश का खुला उल्लंधन किये जाने के कारण ही विधिवत रूप से एक माह के सिविल कारावास से दण्डित किया है जो विधि के प्रावधानो के तहत ही किया गया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अपील पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 62/16 उनवानी महादेवा वगै० बनाम रामप्रसाद वगै० दावा स्थाई निषेधाज्ञा मे उभयपक्ष अधिवक्ता की सहमति अनुसार उनके पक्षकार एक दुसरे की भूमि मे नही घुसेगे न ही एक दूसरे के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग मे बाधा उत्पन्न करेगे। उक्त सहमति के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 8.3.17 के द्वारा प्रतिवादी न० 1 ता 4 को वादीगण के खेत ख०न० 1061,1058,1059,1060 वाके ग्राम फुलवाडा के उपयोग उपभोग एवं कब्जे काश्त मे बाधा उत्पन्न नही करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया था। इसके बावजूद भी अपीलांट द्वारा डिक्रीदार की भूमि ख०न० 1061 मे दक्षिणी पश्चिमी सीमा पर ख०न० 1061 व 1058 मे 36 मीटर भूमि पर अपीलांट रामप्रसाद पुत्र मिश्रया का कब्जा पाया जाना सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 18.8.17 मे पाया गया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा आपसी सहमति के उपरान्त भी डिक्रीदार की भूमि पर कब्जा किया है। जो न्यायिक प्रकिया का स्पष्ट उल्लंघन है। उक्त तथ्य भली भॉति साबित होने पर ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से अपीलांटगण/मदयूनान को एक माह के सिविल कारावास की सजा से विधिवत रूप से दण्डित किया गया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिक निर्णय है जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होने से उसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होने से अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतःअपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी के मुकदमा न० 12/17 मे पारित निर्णय दिनांक 30.9.19 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 28.8.2025 को विवृत न्यायालय मे खुले इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:23:57 IST
Reason: SelfAttested

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner